


सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति, 2012के अंतर्गत गोविन्द कुमार पिता-नंदकिशोर साव; याम: आरा, थाना :बातुमाथ जिला :लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत याम: चमातु थाना सं. 56 (रेयती भूमि) के खाता सं.-3 के अधीन प्लॉट सं. -2483; खाता सं. 191 के अधीन प्लॉट सं. -2156; खाता सं. 3 के अधीन प्लॉट सं. -2483; याम: आरा थाना सं. 55 (रेयती भूमि) के खाता सं. -31 के अधीन प्लॉट सं. -197; कुल रक्काः - 02.00 एकड़ (रेयती भूमि)के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_emploi.ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एन, रॉची एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (मगध - संघमित्रा), सी.सी.एन, के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।


05/03/25